PAGE 1 OF 4	अभियोजन साक्षी संख्याः 01

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 1941/2024		
राज्य	**बनाम**	भूपेन्द्र सिंह

नाम साक्षीः शिवप्यारी उर्फ सरला पत्नी भिखारीलाल	अपराध संख्या- 514/2024
उम्रः लगभग 70 वर्ष, पेशाः गृहणी	धारा- 109(1), 352 BNS
वर्तमान पता साक्षी- ग्राम महमतपुर, थाना घाटमपुर, कानपुर नगर	थाना-घाटमपुर, कानपुर नगर।

दिनांकः-27.01.2025

मैं **साक्षीः शिवप्यारी उर्फ सरला पत्नी भिखारीलाल, उम्रः लगभग 70 वर्ष, पेशाः गृहणी, वर्तमान पता साक्षी- ग्राम महमतपुर, थाना घाटमपुर, कानपुर नगर** शपथपूर्वक यह बयान करती हूँ कि....

1. मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ। हम घुमन्तू जाति के हैं और जानवरों को चारा लाते हैं, कान का मैल निकालते हैं, चैन बनाते हैं व कुकर बनाकर हमलोग अपनी जीविका चलाते हैं। कोई जमीन जायदाद हमलोगों के पास नहीं है। झोपड़ी बनाकर हमलोग रहते हैं।

2. आज से लगभग चार माह पहले दीपावली के पहले मैं व मेरी बहू सुनीता, सुलोचना, राधा पत्नी जगदीश, रोशनी, राधा पत्नी रमाकान्त सुबह लगभग सात-आठ बजे चारा लेने गयी थी। चारा(घास) काटकर हमलोग वापस आ रहे थे कि दस-ग्यारह बजे असवाकपुर गांव के भूपेन्द्र सिंह के

खेत की मेड़ से निकल रही थी कि भूपेन्द्र सिंह गाली-गलौज करने लगा और कहना लगा कि मेरे खेत से घास काटकर तुम लोग निकल रही हो, तुमलोगों को जान से मार देंगे, मेरे द्वारा गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने से मना करने पर भूपेन्द्र सिंह ने लोहे की रॉड से मेरे सिर पर व बायें कंधे, दायें कंधे व कई जगह मार दी थी। मेरे सिर व कंधे पर गंभीर चोट आ गयी थी। मैं वहीं पर गिर पड़ी थी।

3. मेरे साथ जो बहुंए थीं उनके शोर मचाने पर असवाकपुर गांव के लोग आ गये थे। तब भूपेन्द्र सिंह वहाँ से भाग गया था। असवाकपुर गांव के जो लोग आये थे उन्हीं लोगों ने पुलिस बुलायी थी। एंबुलेंस आ गयी थी। इसी में पुलिस वाले मुझे उपचार हेतु ले गये थे।

4. घाटमपुर में मेरा इलाज हुआ था। घटना के दूसरे दिन मैंने एक तहरीरी प्रार्थना पत्र कम्प्यूटर से बोलबोलकर लिखवायी थी। मैंने जो बोला था उसने वही लिखा था। प्रार्थना पत्र मुझे पढ़कर सुनाया था। इसके बाद मैंने अपना अंगूठा निशान लगाकर चौकी में दिया था फिर वो लोग मुझे थाने ले गये थे।

साक्षी ने प्रपत्र सं०-11 तहरीर प्रार्थना पत्र पर बने अपने अंगूठा निशान की पुष्टि की जिस पर प्रदर्श P-1 अंकित किया गया। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी।

5. जहाँ पर मेरे साथ मारपीट हुई थी वहाँ पर पुलिसवाले मुझे ले गये थे। सिर व शरीर में गंभीर चोट होने के कारण कई दिन मेरा उपचार चला था।

प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियुक्त

6. यह कहना सही है कि मेरे पास कोई घर व खेती-पाती नहीं है। इस गांव में घूम-घूमकर हमलोग काम करते हैं। हमलोग घुमंतू जाति के हैं। मैं आज अपने बेटे गुड्डू के साथ आयी हूँ। गुड्डू अभी मेरे पास न्यायालय में आया था। गुड्डू मेरा सगा लड़का है।

7. मेरे पास एक पड़वा, एक भैंसा, बकरियाँ व भैसियाँ हैं। मेरे यहाँ खाना सुबह छह-सात बजे बन जाता है। मैं भूपेन्द्र के घर नहीं गयी हूँ। मेरी इनसे बोलचाल व आना-जाना नहीं है। उस समय तिली, उड़द व बाजरे की

फसल खड़ी थी। भूपेन्द्र के पास खेत है लेकिन उसके पास कितनी खेती है मुझे नहीं मालूम।

8. भूपेन्द्र सिंह के खेत में तिली और उड़द बोए थे। गाय व भैंस को चारा कर हमलोग फसल काटने गये थे। भूपेन्द्र सिंह अपने खेत की देखभाल करने आये थे।

9. मेरे साथ पाँच-छह महिलाएं थीं। भूपेन्द्र अकेला था। रोड़ से खेत लगा हुआ था। मैं रोज इनके खेत पर नहीं जाती थी, कभी-कभी जाती थी। इनके परिवार के बारे में मैं नहीं जानती।

10. हमलोग अपने साथ में हंसिया, खुरपा व दराती और घास रखने व टाँगने वाला कपड़ा ले जाते हैं। मैंने भूपेन्द्र को नहीं मारा।

11. मुझे घटना की तिथि/दिन नहीं पता है। मैंने घटना की तिथि लिखने वाले को बतायी थी। 100 नम्बर की पुलिस मुझे अस्पताल ले गयी थी। मुझे याद नहीं है कि मैं किस तिथि को अस्पताल गयी थी। मुझे यह भी याद नहीं है कि मैं थाने पर कब गयी थी। सीओ साहब के पास मैं घटना वाले दिन गयी थी।

12. पुलिस ने लोहे की रॉड बरामद की थी। घटनास्थल के आसपास दुकानें नहीं है। साईंबाबा का मन्दिर है। मेरे सिर पर चोट लग गयी थी मैं गिर पड़ी थी। भूपेन्द्र अपने घर से साइकिल से आ रहा था।

13. मैंने घटना वाले दिन हरे रंग की साड़ी पहनी थी। साड़ी पुलिस को नहीं दी थी। मेरा कोई बेटा/बेटी सरकारी नौकरी नहीं करता है। मैं अस्पताल में पाँच दिन तक भर्ती रही। भूपेन्द्र आसमानी रंग की शर्ट व काला पैंट पहने हुए था। आज सोमवार का दिन है। मैं समय नही देख पाती हूं।

14. यह कहना गलत है कि मैं और मेरी बहुँए ने अभियुक्त के खेत में फसल काटने गये हो और उसके मना करने पर हमलोगों ने उसे पत्थर मारा हो।

15. यह कहना सही है कि हाथ जोड़कर कहा था कि अब दोबारा तुम्हारे खेत में नहीं आयेंगे।

16. यह कहना गलत है कि मेरी बहुँओं ने अभियुक्त को पत्थर मारा हो और वही पत्थर मुझे लग गया हो।

17. मेरी अभियुक्त से कोई समझौते की बात नहीं हुई है।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।